प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी, थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
   प्र0सू0रि0 सं 220/2023 दिनांक 14/8/2023
2. (1) अधिनियम .....धाराऐं....**7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)**....
   (2) अन्य अधिनियम एवं .....धाराऐं .....
3. (क) घटना का दिन :– **19.04.2023**
   (ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 19.04.2023 समय :– **01.00 पी.एम.**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 267 समय 3:00 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) चौकी से दिशा एवं दूरी – **पूर्व–दक्षिण एवं 45 किलोमीटर**
   बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
   (ख) पता:– **कस्बा केशोराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान।**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
1. (क) नाम :– **श्री ओमशंकर उर्फ राजू जाति केवट**
   (ख) पिता का नाम :– **श्री भोलालाल**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **34 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –

(छ) पता :– **निवासी ग्राम सूनगर थाना केशोराय पाटन जिला बूंदी**

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   (1) श्री सुमित कनोजिया पुत्र राजेन्द्र प्रसाद कनोजिया निवासी म.नं. 119 कमला उद्यान, बूंदी रोड, कुन्हाडी, कोटा शहर हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय उप वन सरंक्षक एवं क्षेत्र निदेशक (कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – .....**10,000 रिश्वत मांग** .....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 19.04.2023 को मन् उप अधीक्षक ज्ञानचन्द को परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू केवट द्वारा जरिये मोबाईल सूचना दी गई कि " मैं ओमशंकर उर्फ राजू पुत्र श्री भोलालाल निवासी सूनगर थाना केशोराय पाटन जिला बूंदी का रहने वाला हूँ। मेरी ट्रेक्टर ट्रोली को केशोराय पाटन में नाका इंचार्ज सुमित कनोजिया वनपाल ने पकड लिया तथा फोटो खींच कर मेरे से रेती परिवहन की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की है।"

चूंकि मन् उप अधीक्षक राजकार्य से बाहर होने के कारण उक्त सूचना से श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाकर परिवादी से वार्ता कर नियमानुसार रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने बाबत निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक ने श्री रामसिंह कानि 78 को कार्यालय का सरकारी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द करके परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर उससें सम्पर्क कर परिवादी से लिखित शिकायत प्राप्त करने तथा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने के निर्देश देकर कस्बा केशोरायपाटन रवाना किया गया।

दिनांक 19.04.2023 को श्री राम सिंह कानि. 78 मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एवं परिवादी श्री ओमशंकर उर्फ राजू द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के ब्यूरो कार्यालय बूंदी उपस्थित आया तथा श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक को बताया कि " मैं निर्देशानुसार बूंदी से रवाना होकर केशोरायपाटन पहुँचा, जहां पर परिवादी श्री ओमशंकर उर्फ राजू से उसके मोबाईल पर फोन किया तो परिवादी उपस्थित आया। परिवादी को कार्यवाही बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने को कहा तो उसने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया तथा बताया कि अभी सुमित कनोजिया

अपने नाका कार्यालय में मिलेगा तथा मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत मांग की बातचीत करेगा। इस पर परिवादी श्री ओमशंकर उर्फ राजू को सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द व चालु करने एवं वार्ता को रिकार्ड करने की विधि समझाई गई। परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करवाकर रिश्वत मांग वार्ता हेतु आरोपी सुमित कनोजिया के पास उसके नाका कार्यालय केशोराय पाटन में रवाना किया गया तथा मैं बाहर खडा रहकर निगरानी करता रहा। करीब 8–10 मिनट बाद परिवादी श्री ओमशंकर उर्फ राजू मेरे पास आया तथा डिजिटल वॉईस रिकार्डर पेश कर बताया कि "मैं डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करके नाका कार्यालय में गया तो सुमित कनोलिया मौजूद मिला, जिससे मैंने बातचीत की तो ट्रेक्टर ट्रोली में रेत परिवहन की एवज में मेरे से मासिक बन्धी के रूप में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा आज ही रूपये लाने को कहा तो मैंने बाद में रूपये लेकर आने की बात कहकर आया हूँ। बातचीत के बाद बाहर आकर मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द लिया।" उसके बाद परिवादी को मैंने बूंदी चलने का निवेदन किया तो कहा कि मेरे जरूरी काम है एक दो दिन में आ जाउंगा। उसके बाद मैं डिजिटल वॉईस रिकार्डर एवं परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को लेकर बूंदी आया हूँ।"

श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक ने ईयरफोन के जरिये डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो आरोपी सुमित कनोजिया द्वारा परिवादी से ट्रेक्टर ट्रोली से रेत परिवहन करने की एवज में रिश्वत मांगने की स्पष्ट पुष्टि हुई एवं राम सिंह कानि. 78 द्वारा बताये गये तथ्य सही होना पाये गये। परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं रिकार्ड वार्ता से मामला प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का होना पाया गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया।

दिनांक 20.04.2023 को परिवादी श्री ओम शंकर उर्फ राजू ब्यूरो कार्यालय बून्दी आया तथा बताया कि सुमित कनोजिया, वनपाल मेरे को रिश्वत के तौर पर मासिक बंधी लेने के लिए बुलायेगा तब मैं आपको बता दूंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता रखने की समझाईश कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

दिनांक 15.05.2023 को श्री राम सिंह कानि. 78 को परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू से सम्पर्क करने हेतु कस्बा केशोराय पाटन रवाना किया गया था। श्री राम सिंह कानि. 78 ने केशोरायपाटन से वापस ब्यूरो कार्यालय बूंदी आकर श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं निर्देशानुसार कस्बा केशोराय पाटन पहुँचा तथा परिवादी के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क करने का प्रयास किया तो सम्पर्क नही हो पाया। इसके बाद मैं परिवादी के गांव सुनगर उसके घर गया तो परिवादी घर पर नही मिला। उसके बाद रवाना होकर वापस ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया।

तत्पश्चात दिनांक 23.06.2023 को कार्यालय सहायक अभियन्ता, अद्वितीय जयपुर डिस्कॉम बून्दी से पाबन्दशुदा स्वंतत्र गवाह श्री कपिलदेव सुमन तकनीकी सहायक (द्वितीय) एवं श्री मुकेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये।

श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वंतत्र गवाहान श्री कपिलदेव सुमन तकनीकी सहायक (द्वितीय) एवं श्री मुकेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं एसीबी जाप्ता श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413, श्री राजकमल कानि. 330, श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 के मय लेपटॉप, प्रिन्टर व ट्रेप बाक्स मय सामग्री सहित सरकारी वाहन बोलेरो से रवाना होकर कस्बा केशोराय पाटन पहुँचे। परिवादी श्री ओमशंकर उर्फ राजू कस्बा केशोराय पाटन श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक के पास गोपनीय स्थान पर उपस्थित आया।

परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक को इस आशय का पेश किया कि "मैनें सुमित कनोजिया वनपाल (रेंजर) के विरूद्व एसीबी में शिकायत की थी। जिस पर एसीबी बून्दी से रामसिंह जी मेरे पास के.पाटन आए तथा मेरे को डिजिटल वाइस रिकार्डर देकर चालू व बन्द करना सीखाया। उसके बाद में सुमित कनोजिया के पास उसके ऑफिस में जाकर बातचीत की तो उसने मेरे से ट्रेक्टर ट्रोली में रेती परिवहन की एवज में मासिक बंधी के 10 हजार रूपये देने को कहा था उस बातचीत को मैनें डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। उसके बाद सुमित कनोजिया को मेरे द्वारा शिकायत करने का अंदेशा होने से मेरे से बात करना बंद कर दिया तथा रेंजर बनने के कारण उसका तबादला दूसरी जगह हो गया। इस कारण सुमित कनोजिया का तबादला होने व मेरे पर शक होने के कारण वह मेरे से मासिक बंधी की वसूली नही ले रहा है। "

परिवादी से पूछने पर बताया कि सुमित कनोजिया वनपाल के पद पर केशोराय पाटन कार्यरत था परन्तु उसका प्रमोशन होकर रेंजर बनने के कारण उसका तबादला बून्दी हो गया है। मेरे पर शक होने के कारण सुमित कनोजिया ने मेरे से रिश्वत के रूप में मासिक बंधी नही ली तथा मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया है।

मौके पर बैठने की उचित व्यवस्था नही होने के कारण अग्रिम कार्यवाही के क्रम में श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते के सरकारी वाहन से रवाना होकर पुलिस थाना के.पाटन के स्वागत कक्ष पहुँचा। थानाधिकारी से मौखिक स्वीकृति लेकर अग्रिम कार्यवाही की गई।

श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक ने परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा दिनांक 19.04.23 व दिनांक 23.06.23 को पेश किये गये प्रार्थना पत्रों का अवलोकन दोनो गवाहान को करवाया जाकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो गवाहों ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा दिनांक 19.04.23 व दिनांक 23.06.23 के प्रार्थना पत्रों को स्वतंत्र गवाहान को पढाया जाकर दोनो प्रार्थना पत्रों पर हस्ताक्षर करवाये गये।

दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ओम शंकर उर्फ राजू पुत्र श्री भोला लाल जी उम्र 34 वर्ष जाति केवट निवासी सुनगर थाना केशवराय पाटन जिला बून्दी एवं आरोपी श्री सुमित कनोजिया, वनपाल हाल रेंजर के मध्य दिनांक 19.04.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में परिवादी से रिकार्ड करवाई गई थी। जो डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप के जरिये स्पीकर ऑन कर सुनाया जाकर रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी से पहचान करवाई जाकर वार्ता की शब्द–ब–शब्द हूबहू ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गई। परिवादी द्वारा सभी रूपान्तरण वार्तालाप का सम्बन्धित वॉईस रिकार्डर से शब्द–ब–शब्द मिलान किया तथा वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये।

स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री ओम शंकर उर्फ राजू एवं आरोपी श्री सुमित कनोजिया वनपाल हाल रेंजर के मध्य दिनांक 19.04.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी से ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वाईस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया था। उक्त मूल वार्ता डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है। श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सरकारी लेपटॉप की मदद से डिजिटल वाईस रिकार्डर के मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को पृथक–पृथक तीन मैमोरी में क्लोनिंग की गई। जिसमें से मूल मैमोरी कार्ड न्यायालय के लिये तथा एक क्लोनिंग मैमोरी कार्ड आरोपी एवं एक क्लोनिंग मैमोरी कार्ड आवाज नमूना के लिये कपडे की थैली में अलग–अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक मैमोरी कार्ड को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखा गया। फर्द जप्ती एवं क्लोनिंग मैमोरी कार्ड मूर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू को रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 19.04.2023 को परिवादी श्री ओमशंकर उर्फ राजू केवट से सूचना प्राप्त हुई कि " मैं सूनगर तहसील केशोरायपाटन जिला बूंदी का रहने वाला हूँ तथा मैं ट्रेक्टर ट्रोलियों से रेती परिवहन का काम करता हूँ। केशोराय पाटन में नाका इंचार्ज श्री सुमित कनोजिया वनपाल मेरे से रेती परिवहन की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है।" सूचना के क्रम में परिवादी द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मैं ग्राम सुनगर थाना केशवराय पाटन जिला बून्दी का रहने वाला हुँ। मेरे परिवार में ट्रेक्टर ट्रोली है जो खेती बाड़ी व रेती पत्थर परिवहन में काम आती है दिनांक 18.04.2023 को केशवनगर ग्राम के पास हमारे ट्रेक्टर ट्रोली को घर के लिए रेती लाते वक्त सुमित कनोजिया वनपाल ने पकड लिया और ट्रेक्टर का फोटो खींच लिया और मासिक बंधी के 10 हजार रूपये मांगने लगा, उस वक्त मेरे पास 10 हजार रूपये नही थे इसलिए में सुमित कनोजिया को एक दो दिन में देने की कहकर आया तो उसने उसी वक्त ट्रेक्टर ट्रोली को छोड दिया। मैं सुमित कनोजिया वनपाल को जायज कार्य के बदले 10 हजार रूपये रिश्वत के नही देना चाहता, बल्कि उसे 10 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुँ। मेरी तरफ सुमित कनोजिया का कोई पुराना लेन देन बाकी नही है कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

दिनांक 19.04.2023 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी सुमित कनोजिया वनपाल हाल रेंजर द्वारा परिवादी से रेत परिवहन की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत मांग करने की स्पष्ट पुष्टि हुई।

तत्पश्चात दिनांक 23.06.2023 को परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू केवट ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैनें सुमित कनोजिया वनपाल (रेंजर) के विरूद्व एसीबी में शिकायत की थी। जिस पर एसीबी बून्दी से रामसिंह जी मेरे पास के.पाटन आए तथा मेरे को डिजिटल वाइस रिकार्डर देकर चालू व बन्द करना सीखाया। उसके बाद में सुमित कनोजिया के पास उसके ऑफिस में जाकर बातचीत की तो उसने मेरे से ट्रेक्टर ट्रोली में रेती परिवहन की एवज में मासिक बंधी के 10 हजार रूपये देने को कहा था उस बातचीत को मैनें डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। उसके बाद सुमित कनोजिया को मेरे द्वारा शिकायत करने का अंदेशा होने से मेरे से बात करना बंद कर दिया तथा रेंजर बनने के कारण उसका तबादला दूसरी जगह हो गया। इस कारण सुमित कनोजिया का तबादला होने व मेरे पर शक होने के कारण वह मेरे से मासिक बंधी की वसूली नही ले रहा है। "

इस प्रकार परिवादी पर शक होने की आशंका होने एवं आरोपी का अन्यत्र पदस्थापन होने के कारण रिश्वत प्राप्त करते हुये ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही हो पाई। इस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये दिनांक 19.04.2023 को परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू व आरोपी सुमित कनोजिया के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द जप्ती एवं क्लोनिंग मैमोरी कार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से पाया गया कि परिवादी ओमशंकर उर्फ राजू केवट ग्राम सूनगर का रहने वाला है। सूनगर से ट्रेक्टर ट्रोलियों में रेत परिवहन की एवज में आरोपी सुमित कनोजिया, रेंजर (क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय) द्वारा परिवादी से मासिक बन्धी के रूप में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से होना पाया गया।

अतः आरोपी श्री सुमित कनोजिया क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय उप वन सरंक्षक एवं क्षेत्र निदेशक (कोर) रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व, बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रनिब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुमित कनोजिया पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद कनोजिया, हाल क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्यालय उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक (कोर) रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व, जिला बूंदी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 220/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2572-75 दिनांकः- 14.8.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

14.8.23
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।